इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : बॉदा

ऋण आवेदन पत्र प्राप्ति एवं निपटान नीति

1. किसी भी प्रकार का ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उसे ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं निपटान पंजिका में बिना चूक के अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा। ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं निपटान पंजिका का प्रारूप अनुबन्ध–1 में प्रदान किया गया है, शाखाएं इसी के अनुसार पंजिका तैयार करके उसमें विवरण दर्ज करेंगी । शाखा पर आवेदकों से सीधे प्राप्त व अन्य विभागों के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को उनकी प्राप्ति के अनुसार पंजिका में क्रमवार चढ़ाते हुये उन पर पंजिका क्रमांक दर्ज किया जायेगा।
2. प्रत्येक ऋण आवेदन पत्र की पावती, पंजिका क्रम तथा प्राप्ति दिनांक दर्ज करते हुये आवेदक को निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से तत्काल प्रदान की जायेगी।

इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक

शाखा–

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी .....

.....से .....हेतु रु0.....का ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

प्राप्ति क्रमांक.....दिनांक.....

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आवेदकों से सीधे प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होते ही शाखाएं अनुबन्ध–2 में प्रदान किये प्रारूप पर आवेदक को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना प्रेषित करेंगी।

3. शाखाओं पर प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निपटान इनकी प्राप्ति के क्रम के अनुसार किया जायेगा। ऋण आवेदन पत्रों का निपटान निम्न समयावधि के अनुसार किया जायेगा।
   - रु0 50,000/– तक के ऋण आवेदन पत्र, प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर।
   - रु0 50,000/–से अधिक व रु0 2,00,000/– तक के ऋण आवेदन पत्र, प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर।
   - रु0 2,00,000/– से अधिक के ऋण आवेदन पत्र, प्राप्ति के एक माह के भीतर।
   - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत समस्त ऋण आवेदन पत्र, प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर।
   - महिलाओं के समस्त प्रकार के ऋण आवेदन पत्र, प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर।
4. शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण प्रस्ताव संस्वीकृत योग्य पाये जाने पर संस्वीकृत सम्बन्धी विवरण ऋण आवेदन पत्र प्राप्ति पंजिका में दर्ज करते हुये आवेदक को संस्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा।
5. किसी भी ऋण आवेदन पत्र के ऋण संस्वीकृत योग्य न पाये जाने पर इसके निरसन की सूचना आवश्यक विवरण एवं आवेदक द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों के साथ (यथा प्रपत्र अनुबन्ध–3) आवेदक को प्रेषित की जायेगी। **इस क्रम में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों तथा शिक्षा ऋण के समस्त वर्ग के आवेदकों के ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार शाखा/कार्यालय से एक स्तर उच्च कार्यालय में निहित होगा।** अतः इन श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों के निरसन के कारणों/तथ्यों/प्रमाण के साथ संस्तुति सहित शाखाएं/कार्यालय अपने उच्च कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगी। उच्च कार्यालय से निरसन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक पत्र आवेदक को प्रेषित किया जायेगा।